मेरठ विकास प्राधिकरण

की

40वीं बोर्ड बैठक

दिनॉक 16-7-90

का

कार्यवृत्ता

मेरठ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 16-7-1990

समय : प्रातः 11 बजे

स्थान : शिविर कार्यालय, मण्डलायुक्त/अध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ ।

उपस्थिति :

1-	श्री देशराज सिंह	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।	अध्यक्ष
2-	श्री दीपक सिंघल	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मेरठ ।	उपाध्यक्ष
3-	श्री गिरीश चन्द्र चतुर्वेदी	जिलाधिकारी, मेरठ ।	सदस्य
4-	कु० विभा पुरी	विशेष सचिव, वित्त, लखनऊ ।	सदस्य
5-	श्री आर०के०वर्मा	अ०अभि०, आ०वि०परिषद, मेरठ ।	सदस्य
6-	श्री वी०के०गुप्ता	सह०नियोजक, न०एवं ग्रा०नियो०, मेरठ ।	सदस्य
7-	श्री आर०के०शर्मा	विशेष सचिव, आवास, उ०प्र०, लखनऊ ।	सदस्य
8-	श्री ओ०एन०द्विवेदी	अधीक्षण अभियन्ता, जलनिगम	सदस्य
9-	श्री सुशील कुमार जैन	उपरोक्त	सदस्य

मेरठ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 16-7-90 का कार्यवृत्त मेरठ विकास प्राधिकरण की बैठक आज दिनाँक 16-7-90 को मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्न अधिकारियों/सदस्यों ने भाग लिया :-

1-	श्री देशराज सिंह	मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ ।
2-	श्री दीपक सिंघल	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ ।
3-	श्री गिरीश चन्द्र चतुर्वेदी	जिलाधिकारी, मेरठ ।
4-	श्री आर०के०शर्मा	विशेष सचिव, आवास, उ०प्र०शासन, लखनऊ ।
5-	कु० विभापुरी	विशेष सचिव(वित्त), उ०प्र०शासन, लखनऊ ।
6-	श्री आर०के०वर्मा	अधीक्षण अभियन्ता, आ०एवं०वि०परिषद, मेरठ ।
7-	श्री वी०के०गुप्ता	सह-नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, मेरठ ।
8-	श्री ओ०एन०द्विवेदी	अधीक्षण अभियन्ता, जलनिगम, मेरठ ।
9-	श्री सुशील कुमार जैन	अधीक्षण अभियन्ता, जलनिगम, मेरठ ।

मद संख्या - 1 व 2

प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 22-3-90 के कार्यवृत्त की पुष्टि तथा अनुपालन आख्या का अवलोकन।

प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 22-3-90 का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया गया, जिसकी उपस्थित सदस्यों ने सर्व-सम्मति से पुष्टि की । सदस्यों ने बैठक दिनाँक 22-3-90 के कार्यवृत्त के अनुपालन आख्या का भी अवलोकन किया और उस पर अपना सन्तोष प्रकट किया ।

मद संख्या - 3

प्राधिकरण के बर्ष 1990-91 के आय-व्यय (बजट) पर विचार।

प्राधिकरण के समक्ष बर्ष 90-91 का प्रस्तावित बजट रु० 109.96 करोड का प्रस्तुत किया गया जिस पर प्राधिकरण के सदस्यों ने विस्तार से चर्चा की । राजस्व आय तथा राजस्व व्यय की मदवार विवेचना की गयी । बर्ष 90-91 में रु० 9.23 करोड की राजस्व आय होना प्रस्तावित है जिसमें रु० 25.00 लाख स्टाम्प डयूटी से तथा रु० 45.00 लाख लीज रेन्ट से होने वाली आय भी शामिल है । राजस्व आय का ऐसा बहुत बडा भाग विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किये जाने वाले पंजीकरणों से होना प्रस्तावित है । इसी प्रकार राजस्व व्यय के अन्तर्गत रु० 1.528 करोड व्यय किये जाना प्रस्तावित है जिसमें कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते पर होने वाला व्यय रु० 45.96 लाख शामिल है । बर्ष 90-91 में रु० 102.187 करोड पूँजीगत आय प्रस्तावित है जिसमें रु० 77.50 करोड विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त होने वाले ऋणों की धनराशि भी शामिल है । इसमें से रु० 40.00 करोड हुडको से रु० 12.00 करोड एन०सी०आर० से तथा रु० 8.00 करोड राष्ट्रीय आवास बैंक से प्राप्त होंगे । शेष धनराशि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भवनों एवं भूखण्डों के आबंटन/नीलामी से प्राप्त होगी । पूँजीगत व्यय के रुप में रु० 108.436 करोड व्यय किये जाना प्रस्तावित है जिसमें से रु० 23.386 करोड विकास कार्यो पर तथा रु० 29.535 करोड निर्माण कार्यो पर व्यय किये जाना शामिल है । भूअर्जन हेतु रु० 20.00 करोड का प्राविधान किया गया है । बर्ष 90-91 में 12.00 करोड ऋणों के मूलधन के प्रतिदान तथा

रु० 15.00 करोड ऋणों पर देय ब्याज के रुप में वापस किये जायेंगे । सदस्यों ने विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण एवं विकास कार्यों पर होने वाले व्यय की विस्तार से समीक्षा की और इस बात पर बल दिया कि दुर्बल एवं निम्न आय वर्ग के लिये अधिक से अधिक मकान बनाये जायें । ऋणों तथा उसपर देय ब्याज की अदायगी हेतु संसाधन जुटाने के ठोस प्रयास किये जायें । अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि बेगम ब्रिज योजना के अन्तर्गत रु० 112.00 लाख का ऋण प्राप्त किया गया है इसमें राज्यांश की 50 प्रतिशत धनराशि को अनुदान में परिवर्तित किये जाने का अनुरोध शासन से किया जाये । प्राधिकरण के बजट में बढोत्तरी एक सराहनीय प्रयास है ।

विस्तृत चर्चा के बाद प्राधिकरण का बर्ष 1990-91 का बजट बैठक में अनुमोदित किया गया । यह भी निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण की अगली बैठक में बजट के अनुसार वित्तीय एवं भौतिक उपब्धियों का विवरण प्रस्तुत किया जाये ।

मद संख्या - 4

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा स्वीकृत रु० 27.83 करोड रुपये के ऋण में से आन्ध्रा बैंक, मेरठ से 6.87 करोड रुपये का ऋण लिये जाने का संकल्प ।

गंगानगर आवासीय योजना में भूमि विकास एवं सैक्टर प्रोजैक्ट हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक से रु० 27.83 करोड की ऋण राशि प्राप्त करने का जो संकल्प लिया गया है, के सम्बन्ध में आन्ध्रा बैंक के साथ आवश्यक अनुबन्ध करने तथा मेरठ विकास प्राधिकरण की ओर से अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने एवं प्राधिकरण की कामन सील प्रयोग करने हेतु सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण को विचारोपरान्त अधिकृत किया गया ।

मद संख्या - 5

औद्योगिक क्षेत्र में लागू बाहय विकास शुल्क दरों पर पुनः विचार।

औद्योगिक क्षेत्र में बाहय विकास शुल्क की दरों पर प्राधिकरण के सदस्यों ने गम्भीरता से विचार विमर्श किया। इन्डस्ट्रियल स्टेट तथा गैर इन्डस्ट्रियल स्टेट हेतु भूखण्ड क्षेत्रफल पर जो बाहय विकास शुल्क की दरें प्रस्तावित की गयी है उन पर विस्तार से चर्चा हुई और अन्त में निर्णय लिया गया कि औद्योगिक क्षेत्र में बाहय विकास शुल्क आच्छादित क्षेत्रफल पर लिया जाये और इसकी गणना आईटम बार की जाये। फिलहाल तदर्थ रुप से आच्छादित क्षेत्रफल पर रु० 60.00 प्रति वर्गमीटर की दर से बाहय विकास शुल्क लिये जाने की स्वीकृति प्रधिकरण ने प्रदान की साथ में यह निर्देश भी दिये कि ये दरें प्रतिबर्ष संशोधित की जायें।

मद संख्या - 6

मैसर्स नवयुग इण्डिया लिमिटेड के औद्योगिक मानचित्र संख्या 551/88 के बाहय शुल्क पर पुनः विचार।

मद संख्या - 5 में लिये गये निर्णय के अनुसार इस प्रकरण को निस्तारित किये जाने के निर्देश प्राधिकरण ने दिये।

मद संख्या - 7

महायोजना में प्रस्तावित बिल्टअप यूज जोन में व्यवसायिक मानचित्रों की स्वीकृति हेतु नीति निर्धारण।

महायोजना के अन्तर्गत बिल्ट अप एरिया में यातायात के आवागमन को नियन्त्रित करने तथा कन्जैक्शन को कम करने के उद्देश्य से प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि -

अ- सघन बाजार क्षेत्र में स्थल की कुल गहराई जो भूतल पर व्यवसायिक प्रयोग में प्रयुक्त की जा सकती है अधिकतम 25 फीट होगी जिसमें सामने की ओर 5 फीट का सैट बैक छोडना होगा। भवन की ऊँचाई सामने

स्थित मार्ग पर 45 के कोण के आधार पर नियमानुसार निशिचत की जायेगी जो अधिकतम 36 फीट होगी ।

ब- खुले बाजार क्षेत्र में स्थल की कुल गहराई जो भूतल पर व्यवसायिक प्रयोग में प्रयुक्त की जा सकती है अधिकतम 40 फीट होगी जिसमें सामने की ओर 10 फीट पार्किंग हेतु तत्पशचात 5 फीट का सैट बैक छोडना होगा । भवन की ऊँचाई अधिकतम 40 फीट होगी ।

मद संख्या - 8

समितियों को ग्रुप हाऊसिंग के स्थान पर प्लाटिड डवलपमेन्ट की अनुमति दिये जाने पर विचार ।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में शासन को पत्र भेजकर मामला सन्दर्भित किया गया हैं अत: मामला नीति बिषयक होने के कारण शासन के निर्णय की प्रतीक्षा की जाये ।

मद संख्या -9

प्राईवेट बिल्डर्स/ डवलपर्स/ प्रमोटर्स हेतु ग्रुप हाऊसिंग के स्थान पर कम्पोजिट स्कीम (प्लाटिड डवलपमेंट) आदि की स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव ।

बैठक में विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव शासनादेश में संशोधन से सम्बन्धित है अत: इसे शासन को यथानुसार भेज दिया जाये ।

मद संख्या - 10

मैसर्स दीवान रबर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा योजना सं०-10 में प्रस्तावित मन्दिर का निर्माण ।

प्रस्ताव पर विचार करने के बाद निर्णय लिया गया कि शासनादेशों में मन्दिरों/ धार्मिक संस्थाओं के लिये भूमि आबंटित करने पर कोई प्राविधान नहीं हैं चूँकि प्रस्तावित भूमि प्राधिकरण की योजना नं०-10 में अधिकृत कर ली गयी है अत: मैसर्स दीवान रबर चाहें तो सैक्टर रेट पर भूमि क्रय करके मन्दिर का

निर्माण करवा सकते है । मन्दिर निर्माण हेतु भूमि का समायोजन सम्भव न होने के कारण प्रस्ताव निरस्त किया गया ।

मद संख्या -11

विभिन्न संस्थाओं/ इन्स्टीटयूशन्स/ मनोरंजन एवं खुले रेस्टोरेन्टस आदि को भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

विचारोपरान्त प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत केवल शासकीय संस्थाओं को भूमि आबंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी । रेस्टोरेन्टस आदि को भूमि व्यवसायिक दरों पर नीलाम पद्धति से दी जायेगी ।

मद संख्या - 12

प्राधिकरण द्वारा मेरठ महापालिका को रुपये 15 लाख हस्तगत किये जाने पर विचार ।

प्राधिकरण ने विचारोपरान्त इस प्रतिबन्ध के साथ प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की कि प्रस्तावित रु० 15.00 लाख की धनराशि मेरठ विकास प्राधिकरण के पास ही रहेगी और प्राधिकरण तथा नगरपालिका के अधिकारियों की एक समिति गठित कर दी जाये जो विभिन्न योजनाओं पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में अनुशंसा करेगी जिसके आधार पर योजनाओं पर व्यय की स्वीकृतियाँ उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदान की जायेंगी ।

मद संख्या - 13

ग्राम मलियाना, डुगरावली, कुन्डा, सुन्दरा उर्फ पूठा की भूमि का संस्थाओं/ आवासीय/ ऑफिस/ व्यवसायिक उपयोग किये जाने का प्रस्ताव ।

चूँकि प्रस्ताव प्राधिकरण की अपनी योजनाओं के लिये है । अत: विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

मद संख्या - 14

सैनिक बिहार योजना के भूउपयोग परिवर्तन।

मेरठ विकास प्राधिकरण की योजना होने के नाते प्राधिकरण ने विचारोपरान्त 41.61 एकड भूमि के भूउपयोग परिवर्तिन की स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या - 15

मेरठ दिल्ली मार्ग पर ग्राम बराल परतापुर के खसरा सं०-756 अ व 756ब (नीलगिरि सीमेन्टस) का भूउपयोग परिवर्तन।

प्रस्ताव पर विचार किया गया, सह नगर नियोजक ने सूचित किया कि उपरोक्त खसरों के भूउपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के यहाँ से पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी एक प्रति प्राधिकरण को भी दी गयी है। उनका कहना था कि विवादित भूमि के आसपास औद्योगिक क्षेत्र है और केवल उपरोक्त खसरा नम्बरों की एक छोटी सी पट्टी ही शेष बचती है जिसका भूउपयोग पी-3 है। प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि नीलगिरि सीमेन्ट की ओर से जो औद्योगिक मानचित्र प्रस्तुत किया गया था वह भूउपयोग के विरुद्ध होने के कारण निरस्त कर दिया गया। निर्णय लिया गया कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की आख्या के साथ प्रकरण को अलग से प्रस्तुत करें।

मद संख्या - 16

ग्राम शेरगढी के खसरा सं०-6096, 6097,6098,6099, 6100पार्ट व 6101 पार्ट के भूउपयोग को आवासीय में परिवर्तन का प्रस्ताव।

ये मामला भी पी-3 की भूमि के उपयोग के परिवर्तनं का है। अत: यह निर्णय लिया गया है कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की आख्या के साथ प्रस्तुत करें।

मद संख्या - 17

प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों का आबंटित भवनों/भूखण्डों पर पडने वाले सुपरवीजन चार्ज, लाभांश एवं अधिष्ठान व्यय तथा पंजीकरण राशि 10 प्रतिशत लिये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

प्रस्ताव पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि केवल लखनऊ विकास प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। अत: अन्य विकास प्राधिकरणों से इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने के उपरान्त पूरे औचित्य के साथ अगली बैठक में प्रस्ताव रखा जाये।

मद संख्या - 18 से 21

मदरलैन्ड एकाडेमी, नेहरु नगर, मेरठ, भाई जोगा सिंह इंगलिश मीडियम स्कूल, देवपुरी, मेरठ सेठ छज्जू सिंह, झन्डू सिंह माहेश्वरी जूनियर हाई स्कूल, सराय लाल दास, मेरठ तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री हायर सेकेन्ड्री स्कूल, शिवाजी कालोनी, मेरठ कैन्ट को रियायती दरों पर भूमि आबंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त शिक्षा संस्थाओं को भूमि आबंटित किये जाने के प्रस्तावों पर विचार किया गया। सदस्यों का यह मत था कि रियायती दर पर भूमि आबंटित करने की जो व्यवस्था शासनादेश में दी गयी है वह पब्लिक स्कूलों के लिये हैं। सदस्यों का मत था कि यह देख लिया जाये कि संस्थाओं के पास भूमि का मूल्य अदा करने के लिये पर्याप्त धन है और वह स्कूल भवनों का निर्माण कराने की हैसियत रखती है। उनके पाठयक्रम मान्यतानुसार क्या हैं ? छानबीन के बाद उपरोक्त बिन्दुओं पर स्पष्ट प्रकाश डालते हुए प्राधिकरण की अगली बैठक में प्रस्ताव पुन: विचारार्थ रखा जाये।

मद संख्या - 22

साकेत मार्ग पर मेरठ खास की (बाग मदरसा) भूमि खसरा नं०-5536 मि० रकबा 5.452 एकड खसरा नं०-5537 रकबा 0.312, खसरा सं० - 5538 मि० रकबा 6.534 एकड कुल 12.298 एकड भूमि की अर्जन की स्वीकृति निरस्त किये जाने का प्रस्ताव।

इस प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्राधिकरण इस निर्णय पर पहुँचा कि भूअर्जन की कार्यवाही कालबाधित होने के कारण स्वत: समाप्त हो चुकी है चूँकि प्राधिकरण के पास ४५०० एकड भूमि उपलब्ध है अत: इतनी महँगी जमीन अर्जित करने का कोई औचित्य नहीं हैं । वर्णित परिस्थितियों में इस भूमि की फिर से अर्जन की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है । सक्षम अधिकारी नगर भूमि सीमारोपण, मेरठ से पुष्टि कर ली जाये कि उनके यहाँ शहरी भूमि सीमारोपण अधिनियम के अन्तर्गत कोई मामला लम्बित है अथवा नहीं । यदि शहरी भूमि सीमारोपण के अन्तर्गत कोई भूमि अतिरिक्त घोषित होती है तो यह अन्तत: प्राधिकरण को ही मिलती है ।

अन्य बिषय

1- मैसर्स मोदी रबर लि० द्वारा खसरा सं०- 33, 28 35, 36, 40, 54, 61, 77, 82, 78, 79, 30, 58 व 41 रकबा लगभग 50.12 एकड भूमि में किये गये अनाधिकृत निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार किया गया । चूँकि इस प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बगैर ही निर्माण कर लिया गया है और मानचित्र भी स्वीकृत नहीं कराया गया है अत: तब तक मानचित्र स्वीकृत नहीं किये जा सकते जब तक सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हो जाता । इन्डैमिनिटी बान्ड के आधार पर मानचित्र निर्गत किये जाने का प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाता है ।

2- प्राधिकरण के उद्यान अनुभाग हेतु स्टाफ की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में उद्यानीकरण हेतु निवेदित पदों की स्वीकृति विचारोपरान्त प्रदान की गयी। अध्यक्ष महोदय ने यह भी निर्देश दिये कि निर्माणाधीन कालोनियों को हरा-भरा बनाने के लिये अभी से कार्य प्रारम्भ कियाजाये। ग्रीष्म काल में भी पौधों की सिंचाई तथा सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध किया जाये ताकि आबंटी आकर्षित हो सके।

3- निरुलाज कारनर्स हाऊस लि० को मेरठ बाई पास रोडपर जलपान गृहमनोरंजन स्थल हेतु भूमि के आबंटन किये जाने का प्रस्ताव।

चूँकि जलपान गृह/मनोरंजन स्थल हेतु भूमि आबंटन का प्रस्ताव व्यवसायिक क्रिया-कलापों के अन्तर्गत आता है। अत: शासनादेश के अनुरुप उक्त प्रयोजन हेतु भूमि नीलामी पद्धति से ही आबंटित की जाये।

4- पल्लवपुरम आवासीय योजना में टेलीफोन एक्सचेज की स्थापना हेतु रियायती दर पर भूमि आबंटित किये जाने पर विचार।

पल्लवपुरम आवासीय योजना में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना हेतु रु० 25.00 प्रति वर्गमीटर की रियायती दर से भूमि आबंटित किये जाने के प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार किया गया। अध्यक्ष महोदय ने इस बिषय पर पत्राचार को भी देखा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना हेतु 6000 वर्गमीटर भूमि 25.00 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से उपलब्ध करा दी जाये क्योंकि टेलीफोन विभाग धनराशि जमा कर चुका है। सैक्टर रेट के अनुसार जो अन्तर आयेगा उसकी क्षति पूर्ति प्राधिकरण अपने लाभान्श से करेगा। शेष 40.68 वर्गमीटर भूमि जो टेलीफोन विभाग के आवासीय प्रयोजन हेतु चाहिए होगी वह भविष्य में सैक्टर रेट पर ही दी जायेगी। शासन को भी तदनुसार संस्तुति भेजी जाये।

5-मेरठ क्षेत्र हेतु समुचित यातायात व्यवस्था प्लान बनाया जाना तथा दिल्ली रुडकी मार्ग का कारीडोर इम्प्रमेन्ट प्लान बनाये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव को मेरठ शहर के हित में मानते हुए विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि

(1) मेरठ नगर हेतु एक कम्प्रेहैसिंव ट्रैफिक एण्ड ट्रान्सपोंटेशन प्लान बनाये जाने के साथ-साथ नगर के अन्दर ट्रैफिक इम्प्रेमेन्ट एवं इन्टर सैक्शन का कार्य भी कराया जाये।

(2) दिल्ली - रुडकी रोड कारीडोर जोकि नगर की मैन स्पाईन है, का इम्प्रमेन्ट कियाजाये। उपरोक्त योजनाओं को तैयार किये जाने हेतु प्राधिकरण ने रु० 7.80 लाख के व्यय की स्वीकृति दी है।

6- मेरठ विकास प्राधिकरण की कालोनियों के पेयजल एवं जलोत्सरण से सम्बन्धित कार्य के विरचन एवं निर्माण हेतु जलनिगम की एक निर्माण शाखा को सम्बद्ध करने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण की कालोनियों के पेयजल एवं जलोत्सरण से सम्बन्धित योजना के विरचन एवं निर्माण कार्य हेतु जलनिगम की एक शाखा को प्राधिकरण से सम्बद्ध किये जाने हेतु प्रस्ताव में दी गयी शर्तो के अनुरुप स्वीकृति प्रदान की गयी।

7- श्री जी० के० त्रिवेदी को विश्व बैंक प्रोजैक्ट हेतु कंसलटेन्ट रखने के सम्बन्ध में।

प्रसताव पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि श्री जी० के० त्रिवेदी को कंसलटेन्ट के रुप में रखा जाये तथा उनके कार्य नियत कर दिये जायें और प्रति माह उन्हें को निशिचत धनराशि देने के बजाय कराये जाने वाले कार्य हेतु एक मुशत धनराशि दी जाये। तदनुसार प्रस्ताव तैयार कर अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत किये जाये।

8- ग्रुप हाऊसिंग योजनाओं पर विचार।

मानचित्र सं०- 271/90, 445/90, 323/90 पर बैठक में विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि उन्हें प्राधिकरण की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये। ग्रुप हाऊसिंग के तलपट मानचित्रों के परीक्षण हेतु गठित समिति की बैठक प्राधिकरण की बैठक से 4/5 दिन पहले कर ली जाये।

अन्त में उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा आज की बैठक की अध्यक्षता के लिये अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त किया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव के साथ आज की बैठक समाप्त हुई।

अनुमोदित

ह०/-

(देशराज सिंह)

अध्यक्ष

मेरठ विकास प्राधिकरण

मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 16-7-90 की"परिशिष्ट"

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जिलाधिकारी, मेरठ ने प्राधिकरण की योजना सं०-10 में स्पोटर्स गुडस काम्पलैस हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने तथा उसका विकास यू०पी०एस०आई०डी०सी० द्वारा किये जाने का प्रस्ताव रखा । उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण ने इस सम्बन्ध में प्रकाश डालते हुए बताया कि इस योजना के अन्तर्गत भूमि अध्याप्ति तथा विकास कार्यो हेतु वित्तीय संसाधन एन०सी०आर० द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं इसलिए विकास कार्य योजना में दिये गये स्पेशीफिकेशन/मानकों के अनुसार ही किये जाने हैं । ऐसी दशा में इसका विकास यू०पी०एस०आई०डी०सी० द्वारा नहीं कराया जा सकता । विचार विमर्श के बाद यह निर्णय हुआ कि योजना के अन्तर्गत विकास कार्य मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जायेगा परन्तु इसके लिये जिलाधिकारी, मेरठ की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी जिसमें उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण के अलावा इस व्यवसाय में लगे निर्माताओं के दो प्रतिनिधि, जी०एम०- डी०आई०सी० तथा एन०सी० आर०बोर्ड का भी एक प्रतिनिधि रहेगा ।